IV ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबध्दता के अनुसरण में सभी को औपचारिक बैंकिंग सुविधाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं । 2,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराने का रोडमैप तैयार किया गया है तथा बैंकों को आबंटित किया गया है। महानगरीय शहरों में वित्तीय वंचन की समस्या के मद्देनज़र अग्रणी बैंक योजना 16 महानगरीय जिलों में बढ़ाई गई । बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाएं तेजी से बना लेने के बाद वित्तीय सामावेशन योजना के अगले चरण में बैंक-खातों के उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हमारी नीतियों ने वित्तीय समावेशन को विस्तार दिया है और वित्तीय साक्षरता पहल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं की पूर्ति तथा बढ़ती हुई मांग की कमियों को दूर किया गया है जिससे जागरूकता बढ़ेगी और वित्त का अधिक जिम्मेदारी से उपयोग हो सकेगा ।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रवाह सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं । प्रमुख चुनौती है, वित्तीय रूप से वंचित समाज के उन क्षेत्रों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली की परिधि में लाना । इस कार्यक्षेत्र में विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें वित्तीय समावेशन प्लान (एफआइपी)तैयार करना, व्यवसायी प्रतिनिधि (बीसी) मॉडेल के अवसरों को बढ़ाना, माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र के संबंध में ऋण वितरण प्रक्रियाओं को सुधारना तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सोल्यूशन अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना शामिल है ।

ऋण वितरण

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्य प्राप्त करने में कार्य-निष्पादन

IV.2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बहुसंख्यक जनसंख्या आती है जो कृषि, माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई), शिक्षा और आवास क्षेत्र से जुड़े हैं । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा कम से कम 20 शाखाओं वाले विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए गत वर्ष के 31 मार्च 2013 को यथास्थिति समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र के ऋण समतुल्य(ओबीई का सीई) का, जो भी अधिक हो, 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया । 20 शाखाओं से कम विदेशी बैंको को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए गत वर्ष के 31 मार्च को यथास्थिति समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र के ऋण समतुल्य (ओबीई का सीई) का, जो भी अधिक हो, 32 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया । सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादन बेहतर रहा (सारणी IV.1) ।

IV.3 बैंकों से प्राप्त डाटा के अनुसार 31 मार्च 2014 की स्थिति तक 26 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से 10 बैंक, 20 निजी क्षेत्र के बैंकों में से 4 और 39 विदेशी बैंकों में से 1 समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके ।

कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह :

IV.4 कृषि ऋण कृषि संबंधी उत्पादन का एक प्रमुख अंग है । किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार प्रत्येक वर्ष बैंकिंग क्षेत्र द्वारा कृषि को ऋण प्रवाह हेतु लक्ष्य निर्धारित करता है । वर्ष 2013-14 के लिए ₹7,000 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र को ऋण, लक्ष्य से अधिक रहा (सारणी IV.2) तथापि, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

सारणी IV.1 : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

(राशि ₹बिलियन में)

31 मार्च की स्थिति के अनुसार	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2013	12,822	3,274	849
	(36.2)	(37.5)	(35.1)
2014	16,190	4,645	907
	(39.4)	(43.9)	(35.8)

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित समूहों में एएनबीसी या ओबीई का सीई, जो भी अधिक हो, का प्रतिशत दर्शाते हैं ।
2. वर्ष 2014 का डाटा अनंतिम है ।

सारणी IV.2 : कृषि ऋण के लिए लक्ष्य और उपलब्धि

(राशि रु. बिलियन में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3
2010-11	3,750	4,683
2011-12	4,750	5,110
2012-13	5,750	6,074
2013-14	7,000	7,116*

*: अनंतिम।
स्रोत : नाबार्ड

(आरआरबी) द्वारा ऋण उनके संबंधित लक्ष्य से कम रहा (सारणी IV.3) ।

ब्याज सहायता योजना से मिश्रित परिणाम आए हैं; प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की वसूली में सुधार की आवश्यकता है ।

IV.5 सरकार ने ₹0.3 मिलियन तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए 2006-07 में ब्याज सबवेंशन योजना शुरू की जो अल्प परिवर्तनों के साथ तब से चली आ रही है । फिलहाल, यह ₹0.3 मिलियन तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के संबंध में बैंकों, आरआरबी और सहकारी बैंकों को ब्याज सबवेंशन उपलब्ध करा रहा है । इसके अलावा, वे किसान जो समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें प्रति वर्ष 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन दिया जाएगा जिससे ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष हो जाएगा । वर्ष 2013-14 से निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर उनके ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा प्रदान ऋणों के संबंध में लागू किया गया है ।

IV.6 सबवेंशन योजना ₹0.3 मिलियन तक की फसल ऋण

सारणी IV.3 : कृषि ऋण हेतु लक्ष्य और उपलब्धि, बैंक समूह - वार: 2013-14

(राशि रु. बिलियन में)

एजेंसी	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3
वाणिज्यिक बैंक	4,750	5,090
सहकारी बैंक	1,250	1,199
आरआरबी	1,000	827
जोड़	**7,000**	**7,116**

*: अनंतिम।
स्रोत : नाबार्ड/आइबीए/पीएसबीएस

सारणी IV.4 : एनपीए - कृषि ऋण

(राशि रु. बिलियन में)

वर्ष	कृषि ऋण (31 मार्च को बकाया)	सकल एनपीए (कृषि)*	कृषि ऋण (31 मार्च को बकाया) की तुलना में सकल एनपीए का अनुपात (कृषि)
1	2	3	4
2008	3,081	97	3.2
2009	3,744	72	1.9
2010	4,636	104	2.2
2011	5,072	167	3.3
2012	5,802	248	4.3
2013	6,428	302	4.7
2014*	7,792	340	4.4

*: अनंतिम।

का उपयोग करनेवाले किसानों तक सीमित है । त्वरित चुकौती के लिए प्रोत्साहन के रूप में ब्याज सबवेंशन से कृषि क्षेत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधारने में कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई । कृषि ऋणों में अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए) बढ़ रही हैं तथा 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार यह 4.4 प्रतिशत रहा (सारणी IV.4) । कृषि अग्रिमों की वसूली लगभग 75 प्रतिशत के आस-पास स्थिर रही और उसमें सुधार अपेक्षित है (सारणी IV.5) ।

संशोधित सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना हेतु मूलाधार

IV.7 मई - जुलाई 2013 के दौरान बैंकों के साथ आयोजित एफआईपी समीक्षा बैठकों के दौरान यह पाया गया कि जीसीसी के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत डाटा में व्यक्तियों को प्रदान उद्यमी ऋण दर्शाया नहीं जाता है । समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों के अंतर्गत सभी लाभप्रद गतिविधियों के लिए अधिकतर ऋण सहबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जीसीसी योजना के कवरेज को बढ़ाने हेतु तथा बैंक द्वारा व्यक्तियों को कृषितर उद्यमी संबंधी

सारणी IV.5 : प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली

(₹ बिलियन)

वर्ष	कुल मांग	कुल वसूली	मांग की तुलना में वसूली का %
1	2	3	4
2011	1,822	1,383	75.9
2012	1,918	1,429	74.5
2013	2,596	1,976	76.1

गतिविधियों के लिए प्रदत्त समस्त ऋणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जीसीसी दिशानिर्देशों में 2 दिसंबर, 2013 को संशोधन किए गए थे । संशोधित योजना में ऋण राशि के संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, बशर्ते यह ऋण कृषि से इतर उद्यमी संबंधी गतिविधियों के लिए प्रदान किया जा रहा है और अन्यथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र है, जबकि पुरानी योजना में प्रति व्यक्ति इस ऋण की सीमा ₹25,000/- निर्धारित की गई थी । इसके अलावा, संशोधित योजना के अंतर्गत दिया गया ऋण कृषि से इतर उद्यमिता गतिविधियों के लिए होगा, जबकि पुरानी योजना में ऋण के प्रयोजन और उसके अंतिम उपायोग के बारे में कोई आग्रह नहीं था ।

किसान क्रेडिट कार्ड (योजना)

IV.8 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को मई 2012 में संशोधित किया गया तथा सभी बैंकों को सभी किसानों को स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए सूचित किया गया । 30 सितंबर 2013 की स्थिति के अनुसार, कुल 20.0 मिलियन ओपरेटिव कार्डों में से 4.9 मिलियन स्मार्ट कार्ड सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किए गए ।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह

IV.9 वर्ष 2013-14 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) द्वारा एमएसई क्षेत्र को प्रदत ऋण में 23.1 प्रतिशत की वृध्दि हुई (सारणी IV.6) ।

सारणी IV.6: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण

मार्च माह के अंत में	एमएसई क्षेत्र को बकाया ऋण		एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
	खातों की संख्या (मिलियन में)	बकाया राशि (रु. बिलियन में)	
1	2	3	4
2013	11.2 (13.1)	6,872.1 (30.2)	14.8
2014	12.4 (10.7)	8,461.3 (23.1)	15.6

टिप्पणी: 1. 2014 का डाटा अनंतिम है ।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन का प्रतिशत दर्शाते हैं ।
स्रोत: अनुसूचित वाणिज्य बैंक

अग्रणी बैंक योजना का कार्यान्वयन

IV.10 वर्ष 2013-14 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में उल्लेख है कि वित्तीय वंचन की चुनौती महानगरीय क्षेत्रों में भी फैली हुई है विशेषकर सुविधाहीन और निम्न आय वर्गों में । शहरी गरीब के वंचित समूह के लिए दरवाजे पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने तथा सरकार और बैंकों के बीच समन्वयन हेतु एक संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए महानगरीय क्षेत्रों में सभी जिलों को एलबीएस के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, महानगरीय क्षेत्रों के 16 जिलों में नामित बैंकों को अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया और इस प्रकार संपूर्ण देश को इस योजना के दायरे में लाया गया। निचले स्तर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और उस पर निगरानी, ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी), जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के माध्यम से की जाती है । इन मंचों में बैंकरों तथा सरकारी एजेंसियां एक ही प्लेटफार्म पर आ जाते हैं ताकि रुकावटों को दूर किया जाए और विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने वालों को सहूलियत प्रदान की जा सके । जबकि महत्वपूर्ण मामले जो संपूर्ण राज्य को प्रभावित करते हैं के बारे में चर्चा एसएलबीसी में की जाती हैं, डीसीसी बैठकों में निश्चित जिला संबंधी मामले सुलझाए जाते हैं ।

जिलों के लिए अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व

IV.11 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व के लिए 644 बैंकों को नामित किया गया था जिनकी तुलना में यह कार्य मार्च 2014 के अंत में देश के 671 बैंकों को सौंपा गया था। गुजरात में निर्मित सात नए जिलों में देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक को अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया। बैंक ऑफ इंडिया को मध्य प्रदेश में एक नए जिले में अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया तथा भारतीय स्टेट बैंक को मेघालय में सभी 4 नए जिलों में अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया । साथ ही, वर्ष 2013-14 के दौरान चेनै (1), दिल्ली (11), हैदराबाद (1), कोलकाता (1) और मुंबई (2) के महानगरीय क्षेत्रों में 16 जिलों को एलबीएस के अंतर्गत लाया गया ।

वित्तीय समावेशन

बैंकरहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराने हेतु रोडमैप

IV.12 रिज़र्व बैंक ने सभी बैंक रहित गांवों में चरणबध्द रूप से दरवाज़े पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहायक एवं सहज वातावरण बनाने हेतु अपना प्रयास जारी रखा है । प्रथम चरण में 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले 74,414 बैंक रहित गांवों को पहचाना गया तथा उन्हें कवरेज के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे कि शाखाओं, बीसी या अन्य माध्यमों यथा एटीएम और सैटीलाइट शाखाएं आदि द्वारा एसएलबीसी के माध्यम से विभिन्न बैंको को आबंटित किया गया । इन सभी बैंक रहित गांवों को बैंकिंग आउटलेट, जिसमें 2,493 शाखाएं, 69,589 बीसी तथा अन्य माध्यमों से 2,332 सम्मिलित हैं, के जरिए कवर किया गया है ।

IV.13 चरण II में 2000 से कम जनसंख्या वाले बैंकरहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराने हेतु रोडमैप के अंतर्गत लगभग 4,90,000 बैंक रहित गांव पहचाने गए तथा उन्हें 31 मार्च 2016 तक समयबध्द तरीके से कवरेज हेतु बैंकों को आबंटित किया गया । एसएलबीसी से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार बैंकों ने मार्च 2014 तक 183,993 बैंक रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोले जिसमें 7,761 शाखाएं, 163,187 बीसी तथा अन्य माध्यमों से 13,045 शमिल हैं। रिज़र्व बैंक, रोडमैप के अंतर्गत बैंकों द्वारा की जा रही प्रगति पर ध्यानपूर्वक निगरानी कर रहा है ।

वित्तीय समावेशन प्लान तथा उसके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

IV.14 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित एफआईपी तैयार करने के माध्यम से उच्च स्तरों पर प्रतिबध्दता के साथ वित्तीय समावेशन के प्रति एक संरचित और योजनाबध्द दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है । एफआईपी का प्रथम चरण 2010-13 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया गया। रिज़र्व बैंक ने बैंकों के वित्तीय समावेशन पहल के अंतर्गत उनके निष्पादन को आँकने के लिए एफआईपी का प्रयोग किया है । प्रथम योजना अवधि की समाप्ति के साथही एक बड़े बैंकिंग नेटवर्क का निर्माण हुआ है तथा अधिक संख्या में बैंक खाते भी खोले गए हैं (सारणी IV.7) । तथापि, यह पाया गया है कि खोले गए खातों तथा निर्मित बैंकिंग मूलभूत सुविधाओं के जरिए किसी भी प्रकार के बड़े लेन-देन नहीं किए गए। वंचितों को

सारणी IV.7: वित्तीय समावेशन योजना - आरआरबी सहित सभी बैंकों की प्रगति का सार

विवरण	मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 2013 को समाप्त वर्ष	मार्च 2014 को समाप्त वर्ष	अप्रैल 2013 - मार्च 2014 के दौरान प्रगति
1	2	3	4	5
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं	33,378	40,837	46,126	5,289
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - शाखा रति	34,316	2,27,617	3,37,678	1,10,061
गांवों में बैंकिंग आउटलेट - अन्य विधि	67,694	2,68,454	3,83,804	1,15,350
बीसी के जरिए कवर किए गए शहरी इलाके	447	27,143	60,730	33,587
शाखाओं के जरिए खोले गए साधारण बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	60.2	100.8	126.0	25.2
शाखाओं के जरिए खोले गए साधारण बचत बैंक जमा खाता (राशि रु. बिलियन में)	44.3	164.7	273.3	108.6
बीसी के जरिए खोले गए साधारण बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	13.3	81.3	116.9	35.7
बीसी के जरिए खोले गए साधारण बचत बैंक जमा खाता (राशि रु. बिलियन में)	10.7	18.2	39.0	20.7
कुल बीएसबीडीए (संख्या मिलियन में)	73.5	182.1	243.0	60.9
कुल बीएसबीडीए (राशि रु. बिलियन में)	55.0	182.9	312.3	129.3
साधारण बचत बैंक जमा खातों में ली गई ओडी सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.2	4.0	5.9	2.0
साधारण बचत बैंक जमा खातों में ली गई ओडी सुविधा (राशि रु. बिलियन में)	0.1	1.6	16.0	14.5
केसीसी - (संख्या मिलियन में)	24.3	33.8	39.9	6.2
केसीसी - (राशि रु. बिलियन में)	1240.1	2623.0	3684.5	1061.5
जीसीसी - (संख्या मिलियन में)	1.4	3.6	7.4	3.8
जीसीसी - (राशि ₹ बिलियन में)	35.1	76.3	1096.9	1020.6
आईसीटी खाता - बीसी - अंतरण - संख्या मिलियन में (वर्ष के दौरान)	26.5	250.5	328.6	328.6
आईसीटी खाता - बीसी - अंतरण - राशि रु. बिलियन में (वर्ष के दौरान)	6.9	233.9	524.4	524.4

टिप्पणी: संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम 5 में दर्शाए गए आंकड़े भिन्न हो सकते हैं।

अर्थपूर्ण बैंकिंग सेवाएं मुहैया करवाना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए बैंकों को 2013-16 के लिए नया तीन-वर्षीय एफआईपी तैयार करने हेतु सूचित किया गया । बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि उनके द्वारा तैयार किए गए एफआईपी का विसमूहन हो और यह शाखा स्तर तक फैला हुआ हो ताकि वित्तीय समावेशन प्रयासों में सभी हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके तथा एफआईपी केअंतर्गत रिपोर्टिंग ढांचे में एकरूपता भी सुनिश्चित की जा सके । नई योजना में अब बड़ी संख्या में खोले गए खातों में लेन-देनों की मात्रा पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। एफआईपी के अंतर्गत 31 मार्च 2014 तक बैंकों के निष्पादन का संक्षेप नीचे प्रस्तुत है :

बैंकिंग आउटलेटों की संख्या लगभग 3,84,000 तक पहुँच गई है। इनमें से 1,15,350 बैंकिंग आउटलेट वर्ष 2013-14 के दौरान खोले गए ।

पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 5,300 ग्रामीण शाखाएं खोली गईं । इनमें से लगभग 4,600 शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों (टियर V और टियर VI केन्द्र) में खोले गए ।

वर्ष के दौरान लगभग 33,500 बीसी आउटलेट शहरी स्थलों पर खोले गए जिसके फलस्वरूप मार्च 2014 के अंत तक शहरी स्थलों में बीसी आउटलेटों की कुल संख्या 60,730 तक पहुँच गई ।

पिछले वर्ष के दौरान 60 मिलियन से अधिक साधारण बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) जोड़े गए जिससे बीएसबीडीए की बकाया कुल संख्या 243 मिलियन तक पहुंच गई ।

2013-14 के दौरान 6.2 मिलियन लघु कृषि क्षेत्र ऋण के जुड़ने से 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार लगभग 40 मिलियन ऐसे खाते हैं ।

2013-14 के दौरान 3.8 मिलियन लघु कृषितर क्षेत्र ऋण के जुड़ने से 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 7.4 मिलियन ऐसे खाते बकाया रहे ।

पिछले वर्ष के दौरान बीसी - आईसीटी खातों में लगभग 328 मिलियन लेन-देन किए गए जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान 250 मिलियन लेन-देन किए गए ।

IV.15 पिछले वर्ष के दौरान बीसी - आईसीटी लेन-देनों की संख्या में काफी वृध्दि होने के बावजूद प्रति खाता लेन-देन का औसत अब भी कम है । चैनल से और अधिक ऋण उत्पाद जारी करते हुए इन खातों के उपयोग की निगरानी पर अब और अधिक ध्यान दिया जा रहा है । रिज़र्व बैंक ने बीसी मॉडेल को मजबूत बनाने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं (बॉक्स IV.1)

बॉक्स IV.1
बीसी मॉडेल को मजबूत बनाने हेतु दिशा-निर्देश

और अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने तथा बैंकिंग क्षेत्र का आउटरीच बढ़ाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने बैंकों को व्यवसायी प्रतिनिधियों (बीसी) का प्रयोग करते हुए वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने में मध्यवर्ती संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की।

बैंकों द्वारा उनके वित्तीय समावेशन प्लानों के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए अनुसार 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार लगभग 2,48,000 बीसी एजेंट तैनात किए गए थे जो 3,33,000 से अधिक बीसी आउटलेटों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं । 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार बीसी के माध्यम से लगभग 117 मिलियन साधारण बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले गए जो एक असाधारण बात थी । हालांकि, बीसी-आईसीटी लेन-देनों की संख्या में काफी वृध्दि हुई है, यह पाया गया कि लेन-देनों की मात्रा में वृध्दि, कार्यरत बीसी की संख्या में वृध्दि तथा उनके माध्यम से खोले गए खातों के अनुरूप नहीं थी । बीसी मॉडेल की समीक्षा में यह विशिष्ट रूप से पाया गया कि बैंकों द्वारा बीसी परिचालन के लिए अपनाई जा रही नकदी प्रबंधन प्रणाली, बीसी मॉडेल की बढ़ोत्तरी में एक प्रमुख बाधा है ।

बीसी मॉडेल के प्रवर्धन को सुकर बनाने हेतु रिज़र्व बैंक ने हालही में दिशा-निर्देश जारी किए जिसमें बैंक के बोर्ड को कहा जाए कि - (i) प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार बीसी के परिचालन की समीक्षा की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोर्पोरेट बीसी और बीसी एजेंटों के पूर्व-निधियन की अपेक्षाएं उत्तरोत्तर कम हो रही है तथा (ii) बीसी के पारिश्रमिक की समीक्षा की जाए तथा बैंक के उच्च प्रबंधतंत्र द्वारा निगरानी की एक प्रणाली स्थापित की जाए। रिज़र्व बैंक ने यह भी निदेश दिया कि बीसी के पास रखी नकद को बैंक का नकद माना जाए तथा इस नकद के बीमा की जिम्मेवारी बैंक की होनी चाहिए ।

वित्तीय साक्षरता

रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता गतिविधियों में बढ़ोत्तरी

IV.16 रिज़र्व बैंक की वित्तीय साक्षरता कार्यनीति का समग्र उद्देश्य है औपचारिक वित्तीय प्रणाली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करके वित्तीय समावेशन प्राप्त करना। रिज़र्व बैंक के वित्तीय साक्षरता प्रयास, बैंकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान जिसमें बैंकरहित स्थलों में वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन शामिल है, किए जाते हैं । इस प्रयोजनार्थ सभी वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को माह में कम से कम एक बार जागरुकता शिविरों के रूप में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने का निदेश दिया गया है। इसके लिए रिज़र्व बैंक ने तीन चरणों में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने के लिए मॉडेल संरचना उपाय बनाया है जिसका आरंभ पहले चरण में जागरूकता उत्पन्न करने, दूसरे चरण में खाता खोलने तथा तीसरे चरण में खातों की उपयोगिता की निगरानी करने के जरिए किया गया। एफएलसी द्वारा वित्तीय रूप से वंचित लोगों के लक्ष्य समूह तक अनुकूल संदेश पहुँचाना सुनिश्चित करने हेतु रिज़र्व बैंक ने व्यापक वित्तीय साक्षरता सामग्री जारी की है जिसमें एक वित्तीय साक्षरता गाइड, एक वित्तीय डायरी और 16 पोस्टर्स का एक सेट जो अब 13 भाषाओं में उपलब्ध है, शामिल है । रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंकों को सूचित किया कि वे वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की मूल वैचारिक समझ प्रदान करने के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री को मानक पाठ्यक्रम के रूप में प्रयोग करें ।

IV.17 एफएलसी की प्रगति की समीक्षा से यह पता चलता है कि 2012-14 के दौरान 514 एफएलसी जोड़े गए जिसके साथ ही एफएलसी की कुल संख्या मार्च 2012 के अंत में 428 से बढ़कर मार्च 2014 के अंत में 942 हो गई (सारणी IV.8) । ये एफएलसी भीतरी और बाहरी गतिविधियों के माध्यम से बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं ।

IV.18 एफएलसी द्वारा आयोजित गतिविधियों की क्षमता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से अक्तूबर 2013 में उनके जागरुकता कार्यक्रमों के प्रभाव पर एक त्वरित अध्ययन किया गया । यह अध्ययन 23 राज्यों में 46 जिलों में फैला हुआ था; 730 सहभागियों,

सारणी IV.8 : वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा प्रारंभ गतिविधियां

विवरण	मार्च 2013 को समाप्त वर्ष	मार्च 2014 को समाप्त वर्ष
1	2	3
आयोजित की गई बाहरी गतिविधियों की संख्या	40,838	56,985
बाहरी गतिविधियां - भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	1,733,198	3,178,425
भीतरी गतिविधियां - भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	483,980	647,643
भाग लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या - बाहरी तथा भीतरी गतिविधियां	**2,217,178**	**3,826,068**

जो पिछले वर्ष के दौरान वित्तीय साक्षरता शिविरों में उपस्थित थे, का साक्षात्कार लिया गया । अध्ययन के निष्कर्ष से पता चलता है कि लगभग सभी सहभागी (99 प्रतिशत) औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ गए थे और बचत खाता (89 प्रतिशत) उनके द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जानेवाला बैंकिंग उत्पाद था और 44 प्रतिशत सहभागियों ने ऋण उत्पादों का उपयोग किया था । विप्रेषणों और सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) उत्पादों का कम से कम उपयोग किया गया (20 प्रतिशत) । निष्कर्षों के आधार पर, बैंकों को उपलब्ध विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने का निदेश दिया गया ताकि उनका उपयोग बढ़ाया जा सके।

IV.19 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की निगरानी में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की गई है, जिसे लागू करने के लिए वित्तीय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय केंद्र (एनसीएफई) की स्थापना की गई है । एनसीएफई एक मानक वित्तीय शैक्षिक सामग्री तैयार करेगा जिसे (www.ncfeindia.org) के माध्यम से ऐक्सेस की जा सकती है । रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार की गई साक्षरता सामग्री भी इस वेबसाइट पर देखी जा सकती है ।

लघु कारोबारों और कम आय वाले गृहस्थों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति की सिफारिशें

IV.20 वित्तीय समावेशन बढ़ाने तथा उसके सघनीकरण हेतु रिज़र्व बैंक ने एक समिति (अध्यक्ष : डॉ. नचिकेत मोर) गठित की थी । समिति ने आपनी सिफारिशों के रूप में निम्नलिखित विज़न

प्रस्तुत किए हैं : (i) 18 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी भारतीयों के लिए सर्वव्यापी इलेक्ट्रानिक बैंक खाता (यूईबीए), (ii) सभी स्थानों पर भुगतान सेवा की उपलब्धता और उचित प्रभार पर जमा-उत्पाद, (iii) वहनीय औपचारिक ऋण की पर्याप्त उपलब्धता, (iv) भिन्न प्रकार के जमा और निवेश उत्पादों को उचित प्रभार पर सर्वत्र उपलब्ध कराना, (v) भिन्न प्रकार के बीमा और जोखिम प्रबंधन उत्पादों को उचित प्रभार पर सर्वत्र उपलब्ध कराना, और (vi) उपयुक्तता का अधिकार । मुख्य सिफारिशों को बॉक्स IV.2 में दिया गया है।

बॉक्स IV.2
लघु कारोबारों एवं कम आय वाले गृहस्थों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के संबंध में समिति की सिफारिशें

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा दूर-दूर तक वित्तीय सुविधाओं को पहुंचाना रिजर्व बैंक की प्रमुख विकासशील कार्यसूचियों में से है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहकारी बैंकों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, स्वयं-सहायता समूहों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, या व्यवसाय प्रतिनिधियों के जरिए किए गए तमाम प्रयासों के बावजूद अपेक्षा से कम सफलता हासिल हुई है तथा क्षेत्रीय एवं क्षेत्रवार आधार पर हुई प्रगति में असमानता पाई गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई वर्तमान कार्यनीतियों की समीक्षा करने; संस्थागत ढांचा तथा विनियम विकसित करने के लिए नियम बनाने; एवं प्रगति को आंकने के लिए व्यापक निगरानी ढांचे का निर्माण करने की दृष्टि से सितंबर 2013 में लघु कारोबार एवं कम आय वाले गृहस्थों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के संबंध में एक समिति (अध्यक्षः डॉ. नचिकेत मोर) की स्थापना की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2014 में पेश की है।

रिपोर्ट में पाया गया है कि लगभग 90 प्रतिशत लघु कारोबारों का, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के साथ कोई सरोकार नहीं है जबकि 60 प्रतिशत ग्रामीण एवं शहरी आबादी के पास कार्यात्मक बैंक खाता उपलब्ध नहीं है तथा अर्थव्यवस्था की अधिकांश वित्त संबंधी जरूरतों की आपूर्ति अनौपचारिक क्षेत्रों के जरिए पूरी होती है। वित्त की सुलभता में कठिनाइयों एवं वित्तीय बचतों से सकारात्मक वास्तविक लाभ न होने के कारण लोग वित्तीय आस्तियों से हटकर भौतिक आस्तियों तथा अविनियमित प्रदाताओं की ओर बढ़ने लगे हैं। इससे लघु कारोबारों एवं कम आय वाले गृहस्थों की विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग का पता चलता है। कई महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे कि बैंक खाता का सर्वव्यापी एक्सेस; सर्वव्यापी भुगतान अवसंरचना; एवं अन्य सभी वित्तीय उत्पादों जैसे, अपेक्षाकृत कम समयावधि में ऋण एवं बीमा की आधार स्तर पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की जरूरत है।

इस पृष्ठभूमि के आधार पर बैंक से संबंधित इस समिति की प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

18 वर्ष से ऊपर के सभी भारतवासियों को 1 जनवरी, 2016 तक सर्वव्यापी बैंक खाता उपलब्ध कराना।

नीचे से ऊपर के क्रम में विभेदक बैंकिंग प्रणाली, जिसमें जमा और भुगतान के लिए भुगतान बैंक और क्रेडिट आउटरीच के लिए थोक बैंक शामिल हैं, जिन्हें खोलने के लिए रियायती प्रवेश मानदंडों के तहत ₹ 0.5 बिलियन की आवश्यकता है।

ऋण देने संबंधी कठिनाई के स्तर के आधार पर क्षेत्रवार और क्षेत्रीय भार के साथ मौजूदा 40 प्रतिशत के प्रति 50 प्रतिशत का समायोजित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्य।

बाजार के जरिए जोखिम और चलनिधि का अंतरण और मुख्य पुनर्वित्त संस्थाओं के आंतरिक जोखिम के मूल्यांकन की क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

प्रत्येक आस्ति-वर्ग के लिए विभेदक प्रावधानीकरण मानदंड और बैंकों द्वारा दबाव-परीक्षण को सार्वजनिक करना।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

एनबीएफसी से संबंधित अनेक परिभाषाओं को दो वर्गों में रखना : (i) मूल निवेश कंपनियां (सीआईसी) और (ii) अन्य सभी एनबीएफसी।

बैंक द्वारा चुने गए परिचालनगत मानदंड़ों के आधार पर किसी बैंक के कारोबार प्रतिनिधि (बीसीज़) के रूप में कार्य करने के लिए जमा न स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडीज़) को अनुमति प्रदान करना।

एनपीए मानदंड, मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण के संबंध में एनबीएफसी और बैंकिंग विनियमनों की आंशिक अभिरूपता और उसे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) के तहत शामिल करना।

एनबीएफसी को थोक वित्त प्रदान करने में आने वाले अड़चनों का समाधान करने वाला स्पष्ट ढांचा जो कि रिजर्व बैंक और सेबी द्वारा तैयार किया जाना है जिसमें अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी), प्रमाणिक वैयक्तिक निवेशकों के लिए दिशा-निर्देश शामिल हों जो सभी संस्थाओं के लिए भारतीय रुपये (आइएनआर) में बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबीज़) की अनुमति प्रदान करें

(जारी....)

और आकार और क्षमता की तुलना में अन्य मुद्राओं में ईसीबी के लिए पात्रता से जोड़ने की अनुमति प्रदान करें ताकि एनबीएफसी वर्ग विशेष के बजाय विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम का सामना कर सके।

दबाव-परीक्षण के परिणामों का समुचित प्रकटीकरण के साथ बेहतर अविरत जोखिम उपायों को लागू करना और बेहतर परोक्ष पर्यवेक्षण के अतिरिक्त, कोर बैंकिंग सुविधा को अपनाना।

छोटे उधारकर्ता वर्ग के लिए कुल उधार सीमा को सभी देनदारों में बढ़ाकर ₹0.1 मिलियन की गई जिसमें इस वर्ग को बैंक द्वारा दी जाने वाली उधार राशि शामिल है।

नए संवर्ग की संस्था थोक बैंक की स्थापना करना और एनबीएफसी को थोक उपभोक्ता बैंक अथवा थोक निवेश बैंक में मात्र थोक लेनदेन करने की अनुमति प्रदान करना बशर्ते वे निगरानी और रिपोर्टिंग की जरूरतों को पूरा करती हों। पीसीएल आस्तियों के लिए सक्रिय बाजार बनाया जाए ताकि बैंक और एनबीएफसी आपस में पीएसएल आस्तियों का लेनदेन कर सकें।

मौजूदा राज्य सरकार-स्तरीय विनियामकों का विलय करके राज्य वित्त विनियामक आयोग (एसएफआरसी) की स्थापना करना और उसमें एनजीओ-एमएफआई और स्थानीय मुद्रा सेवा कारोबार जैसे कार्यों को शामिल करना।

''भुगतान बैंक को लाइसेंसीकरण'' और ''लघु बैंक को लाइसेंस देने'' से संबंधित दिशा-निर्देशों का मसौदा जुलाई 2014 में जारी किया गया है ताकि वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाया जा सके। लघु बैंक जमाराशि और ऋण आपूर्ति जैसे बुनियादी बैंकिंग उत्पाद प्रदान करेंगे, इनका परिचालन एक सीमित दायरे में होगा। भुगतान बैंक प्रौद्योगिकी का फायदा उठाएंगे और एक व्यापक नेटवर्क की पहुंच विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों में मांग जमा और निधियों को भेजने के लिए सीमित दायरे वाले उत्पाद प्रदान करेंगे।